

2021/689

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पिपरा की वर्तमान
जमाबंदी संवत् 2014-77 की खाता संख्या 46 में
मेरा अशुद्ध नाम/जाति 217 कुशिल सु. केशिन दर्ज है।
जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति 217 कुशिल सु. केशिनलाल है।
अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी 217 कुशिल

Mo' 8290051066

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति 217 कुशिल सु. केशिन के
स्थान पर शुद्ध नाम/जाति 217 कुशिल सु. केशिनलाल दर्ज किया जाना उचित है
अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त 3-6455


पटवारी हस्ता 3-6455

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक

के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंभा की जाती है।



तहसीलदार सांगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक

तहसीलदार सांगोद की अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति

..... दर्ज रिकार्ड की जाए।


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
(शिविर स्थान)

आदेश
3-7-21

दिनांक 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी
3-7-21

व. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
3-7-21

नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या 46

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पालना 46	46	रामकुमार पुत्र	रामकुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....

क्रमांक :- 2828

दिनांक :- 16/11/21

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....